FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

लिखमाराम बनाम किशनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवे० 111,128 RLRAct नं. 134/18 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/04/18 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री चुनाराम एड० ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14.05.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 14/05/18 | पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाखड़ा में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के पत्थर स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे।<br>अतः प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार की, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) | |

||श्री||

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
# राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
## ( केम्प कोर्ट, जाखड़ा)

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 184 दिनांकः– 14 / 05 / 2018

**प्रार्थी** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री लिखमाराम पुत्र सालुराम वगैरा 7 जातियान् जाट निवासीयान् जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. श्री किशनाराम पुत्र बगसाराम वगैरा 20 निवासीयान् जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

---

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

---

राजस्व आवेदन संख्या 134 / 18

## आदेश

मौजा जाखड़ा पटवार हल्का जाखड़ा के खेत खसरा नम्बर 63, 364 / 64, 366 / 77, 369 / 115, 371 / 116, 372 / 158 रकबा कमशः 00.14, 23.05, 31.14, 00.04, 34.10, 27.14 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पडौसीयो को नोटिस देने के बाद, प्रार्थीगण से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
**उपखण्ड अधिकारी बायतु**
दिनांकः– 14 / 05 / 2018

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 185 - 89
**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री लिखमाराम पुत्र सालुराम।
4. विप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र बगसाराम वगैरा 31।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

**उपखण्ड अधिकारी बायतु**